न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 86/2024
जीसीएमएस संख्या :– 2024/286

1. गणपत लाल पुत्र श्री छीगनलाल, जाति कलाल, निवासी ग्राम रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

–बनाम–

1. कमला देवी पुत्री श्री नारायण
2. कैलाश पुत्र श्री नारायण
3. नाना देवी पुत्री श्री नारायण
4. नारायणी पत्नी श्री नारायण
5. भोजराज पुत्र श्री नारायण
6. संती देवी पुत्री श्री नारायण
7. भगवान पुत्र मुरली
8. मांगू पुत्र मूरली
9. शंकर पुत्र मुरली
10. सरजू देवी पत्नी रामू
11. सांवरमल पुत्र रामू

समस्त जातियान कुम्हार, निवासीयान ग्राम रोजदा, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राज0।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव पता रामकिशोर भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, इन्दिरा सर्किल के पास, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु

निर्णय दिनांक :– 05.06.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत कर निवदेन किया कि ग्राम रोजदा स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 26 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68/1256 कुल रकबा 6.60 हैक्टे0 कायम किये गये है, के खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता0 11 है। राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज चले आये है, हाल भू प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 26 से बने हाल खसरा नम्बर 58 की जमाबंदी में रकबा 1.91 हैक्टे0 दर्ज किया गया है, परन्तु वर्तमान नक्शा की नाप करने पर हाल खसरा नम्बर 58 का रकबा 1.91 हैक्टे0 के स्थान पर 1.80 हैक्टे0 ही होता है। इस प्रकार 0.11 हैक्टे0 रकबा कम दर्ज किया गया, जो हाल ख0न0 60 व 56 के नक्शे में शामिल हो गया है और ख0न0 60 व 56 तथा 68/1256 का रकबा गत खसरा नम्बर में दर्शाये गये रास्ते व हाल खसरा नम्बर 68/1256 के मध्य में खाली भूमि रहती है, जो हाल खसरा नम्बर 60 का भाग है तथा गत नक्शा में दर्शाये गये रास्ता में खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

68/1256 में अंकित होना चाहिए। इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रार्थी ने मान्य के समक्ष पेश किया। जिस पर मान्य न्यायालय ने तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी, जिस पर तहसीलदार ने रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 57 रकबा 0.01 हैक्टे0, ख0न0 58 का रकबा 1.70 हैक्टे0 ही अपनी रिपोर्ट में बताया जबकि जमाबंदी में ख0न0 57 का रकबा 0.01 हैक्टे0, ख0न0 58 का रकबा 1.91 हैक्टे0 जमाबंदी में दर्ज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर साबिक ख0न0 26 मीन से बनना बताया है, साबिक व हाल का मिलान करने पर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अंकित अन्तर आना बताया गया है। मान्य न्यायालय ने प्रार्थी की बहस सुनकर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार आमेर के ग्राम रोजदा, तहसील आमेर के हाल ख0न0 58 रकबा 1.91 हैक्टे0 को साबिक नक्शे के अनुसार हाल राजस्व नक्शे में दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 27.07.2022 को पारित किया है। मान्य न्यायालय ने उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार को पालना हेतु तहरीर जारी की, जिस पर उप तहसील मुण्डोता, तहसीलदार–जालसू ने दिनांक 01.02.2024 को रिपोर्ट कर, यह अवगत कराया कि हाल खसरा नम्बर 58 का रकबा पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 60 की ओर में दर्शाये गये गुलाबी रंग वाले स्थान पर आता है व खसरा नम्बर 60 का रकबा पूर्व दिशा की ओर ख0न0 68/1256 व 75/1257 की ओर दर्शाये गये हरे रंग की ओर आता है व खसरा नम्बर 56, 60/1231 व ख0न0 58, 60 की ओर काले रंग से दर्शाये गये स्थान तक आता है व ख0न0 75 का साबिक खसरा नम्बर के अनुसार सुपर इमपेज करने पर रकबा हाल ख0न0 74 की ओर आता है, जबकि ख0न0 74 का रकबा राजस्व रिकार्ड व नक्शे के अनुसार वर्तमान में पुरा होता है। मान्य न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने प्रस्तुत किया था, ख0न0 60 में प्रार्थी का रकबा सम्मिलित होना वर्णित किया तथा पटवारी ने भी रिपोर्ट इसी अनुसार की है। वर्तमान तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 के द्वारा खसरा नम्बर 60 का रकबा कम होना बताकर मान्य न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। मान्य न्यायालय ने ख0न0 60 के रकबे की पूर्ति करने हेतु पारित निर्णय में कोई आदेश पारित नही किया है, जो एक सहवन से आदेश में त्रुटि रही है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 60 में से खसरा नम्बर 58 के रकबे की पूर्ति व ख0न0 60 की खसरा नम्बर 68/1256 में से पूर्ति करने का आदेश फरमाया जावे। इसी अनुरूप दुरूस्ती कर पालना करवायी जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामिल की गई। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तामिल पूर्ण पायी गई। तामिल पूर्ण होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 13 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और चाहा गया अनुतोष धारा 136 भू0रा0अधि0 1956 की परिधि में नही आता है। धारा 136 अधिकार अभिलेख में हुई लिपिकीय गलती को दुरूस्त करने का प्रावधान रखती है। अधिकार अभिलेख को धारा 114 में परिभाषित किया हुआ है जिसमें प्रावधानों के अनुसार नक्शा अधिकार अभिलेख का भाग नही है और ना ही प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 के अन्तर्गत अनुतोष देने योग्य नही है, इसलिये खारिज किया जावें। 2014(2) आजेटी 1145 न्यायिक दृष्ट्रांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

अभिनिर्धारित किया है कि यदि जेडीए के विरूद्ध कोई भी राजस्व या सिविल वाद लाया जाता है तो वह मैन्टेनेबल नही है। यदि किसी प्रकरण में जेडीए पक्षकार है तो उसके अनुतोष के लिए जेडीए ट्रिब्यूनल अथवा जेडीए कोर्ट में ही चारा जोही की जानी चाहिए। इसलिये भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा धारा 79(3) का नोटिस नही दिये जाने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। 2021 ए.आई.आर. माननीय उच्चतम न्यायालय पेज 4594 में स्पष्ट अभिवचन है कि कॉज ऑफ एक्सन के अभाव में वाद सरसरे तौर पर ही खारिज किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कही पर भी वादकारण का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, जिसके अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम रोजदा के ख0न0 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68/1256 के लगायत खसरा नम्बर 75/1257 रकबा 0.15 है0 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की राजस्व खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी सरकारी भूमि को हडप करना चाहते है। प्रार्थी ने मैलाफाईड तौर सही तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 27.07.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेश दिया कि वो मुताबिक रिपोर्ट ग्राम रोजदा, तहसील आमेर हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर के ख0न0 58 रकबा 1.91 हैक्टे. के साबिक नक्शे अनुसार हाल राजस्व नक्शा को दुरूस्त किया जावे, जिसकी पालना में न्यायालय हाजा ने तहसीलदार को निर्णय दिनांक 27.07.2022 की पालना हेतु तहरीर जारी की गयी। जिस पर उपतहसीलदार मुण्डोता, तहसील जालसू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 को पुनः प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन कर उक्त निर्णय दिनांक 27.07.2022 में संशोधन किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रोजदा, तहसील जालसू, जिला जयपुर के ख0न0 60 में से ख0न0 58 को रकबे की पूर्ति व ख0न0 60 की पूर्ति ख0न0 68/1256 में से पूर्ति करने का आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक 05.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर